कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना/स्थाना./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री सुभाष चन्द अग्रवाल , प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हनूतपुरा (HANUTPURA), जिला जयपुर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अमर शहीद एस.एम.गोपा (AMAR SAHID S.M.GOPA), जिला जैसलमेर एवं श्री बद्री प्रसाद रेगर (BADRI PRASAD RAIGAR), प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बिदारा (BIDARA) जिला जयपुर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हनूतपुरा (HANUTPURA), जिला जयपुर में स्थानान्तरित किया गया था। उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध श्री सुभाष चन्द अग्रवाल द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 18651/2019 सुभाष चन्द अग्रवाल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 18651/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 03.12.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी श्री सुभाष चन्द अग्रवाल के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में विभागीय आक्षेपित स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 को याचिकार्थी श्री सुभाष चन्द अग्रवाल के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है जिसके फलस्वरूप श्री सुभाष चन्द अग्रवाल, माननीय न्यायालय के आगामी/अन्तिम निर्णय के अधीन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हनूतपुरा (HANUTPURA), जिला जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित रहेंगे एवं उनके स्थान पर स्थानान्तरित, श्री बद्री प्रसाद रेगर (BADRI PRASAD RAIGAR), प्रधानाचार्य, को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी आगामी उपस्थिति कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर में आगामी आदेश तक दी जानी सुनिश्चित करें।

13/12

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/सुभाष चन्द/18651/2019 दिनांकः 13.12.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर ।
6. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी(विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)